

## लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स ओंकार प्रसाद, ग्राम+पो0—आजमगढ़, थाना—रौशनगंज, गया द्वारा गया जिला के अंचल—बाँकेबाजार, गया मोरहर—34 बालू घाट, ग्राम—सैफगंज, मोरहर नदी का क्षेत्रफल—47.40 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक—26.09.2020 को पूर्वाहन् 11.00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, बाँकेबाजार, जिला—गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या—SIA/1(a)/1051/2020, दिनांक—21.07.2020, के आलोक में श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), गया की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक—1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक—23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री ए. के. गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा० जतीन श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना अर्ध यांत्रिक (semi mechanized) आधारित है अतः खनिज निकासी व ढूलाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाना अनुमोदित है। ध्वनि प्रदूषण मानकों के समरूप बनाये रखने के लिए वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों का प्रयोग न्यूनतम रखा जायेगा व रात्रि के समय खनन पूरी तरह बंद रखा जायेगा। परियोजना की राशि की कुल लागत का 2 प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व मद में रखा गया है जो बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य है। परियोजना में कुल 26 कामगारों की आवश्यकता होगी जिनकी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा बालू ढूलाई के लिए वाहनों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खादानों से अस्थायी मार्ग द्वारा जुड़ा है। इन मार्गों का रख—रखाव भी परियोजना प्रस्ताव सुरक्षित करेंगे। खनन कार्य पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन परियोजना के दौरान सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे वाहन मार्ग, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाये जायेंगे तथा इनपर आवश्यक सेवाओं से संबंधित मो०न०० उल्लेखित होंगे जिससे किसी भी आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटा जा सके।

अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। इससे लोगों को रोजगार, सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही विकास कार्य होगा। बालू विकास के लिए एक मुख्य घटक होता है। बालू के उत्खनन में अब बहुत सुधार हुआ है। पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभाव को न्यूनतम रखा जायेगा। नदियों से बालू का उत्खनन चिन्हित क्षेत्र में ही किया जायेगा। तटबंधों को हानि न हो इसका भी ख्याल रखा गया है। बरसात

L

✓

में खनन नहीं होगा। अस्पताल और विद्यालय को कोई परेशानी न हो इसका भी ध्यान रखा जायेगा। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं—

1. श्री प्रदीप कुमार, पिता—श्री दुर्गा सिंह, ग्राम—सैफगंज, जिला—गया द्वारा सुझाव दिया गया कि इस परियोजना का निष्पादन में बतायी गयी शर्तों व जानकारी के अनुसार होना चाहिए। इसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए।

2. श्री प्रेम नारायण प्रसाद, पिता—श्री शिवनंदन प्रसाद, ग्राम—बाँकेबाजार, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि बालू का दर लोगों के लिए क्या निर्धारित होगा।

उत्तर— पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू घाट के पास एक साईन बोर्ड पट्टेधारक द्वारा लगाया जायेगा जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित बालू का दर दर्शाया जायेगा।

3. श्री मिथिलेश कुमार सिंह, पिता—श्री रामनंदन सिंह, ग्राम—सैफगंज, पो0+थाना—बाँकेबाजार, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि बालू ढुलाई से सड़क खराब हो जाता है। इसकी देख-रेख की जिम्मेवारी किसकी होगी। खनन स्थल के अगले-बगल क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है।

उत्तर— पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि सड़क की रख-रखाव की जिम्मेवारी पट्टाधारक की होगी। पेड़ पौधे लगाये जायेंगे। प्रतिदिन तीन बार जल छिड़काव किया जायेगा। बालू ढुलाई के दौरान गाड़ियों की गति सीमा निर्धारित रहेगा तथा हॉर्न का उपयोग न्यूनतम किया जायेगा।

4. श्री रवीन्द्र पासवान, पिता—श्री गोपाल पासवान, ग्राम—धमनिया, बाँकेबाजार, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि प्रखण्ड के लोगों को बालू इस घाट से मिलेगा या नहीं।

उत्तर— अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि इस खनन से निकलने वाले खनिज आम-लोगों के लिए सरकारी दर पर उपलब्ध रहेगी।

5. श्री कमल कुमार वर्मा, पिता—चन्द्रदेव प्रसाद सिंह, ग्राम—सैफगंज, प्रखण्ड—बाँकेबाजार, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि इस प्रखण्ड में कितने घाट हैं, बालू परिवहन का समय क्या होगा एवं खादान में कामगारों की बीमा की जायेगी या नहीं।

उत्तर— क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि.रा.प्र.नि.पर्षद, गया द्वारा बताया गया कि इस प्रखण्ड में दो बालू घाट हैं। बालू परिवहन का समय दिन और रात दोनों समय किया जा सकता है परन्तु भीड़-भाड़ के समय में परिवहन बंद रहेगा। कामगारों की बीमा केन्द्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित नियमों के तहत् किया जायेगा।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि.रा.प्र.नि.पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ-ही-साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण

L ✓

रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढूलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने-जाने के समय या भीड़-भाड़ होने के दौरान बालू की ढूलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से करायी जायेगी। ट्रक से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। बालू की खुदाई 2-3 मी. ही की जायेगी। उन्होंने उमीद जातायी कि प्रत्येक इकाई द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा। हमलोग भी तत्पर रहेंगे।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

५१३  
२८-२८  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बिरो.रा०.प्र०.नि०.पर्षद, गया।

अपर समाहर्ता (वि०जा०)  
गया

